ग्राम पंचायत अवेरी, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)–सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अवेरी विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री कुशल कुमार	01-04-14 से 31-03-17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री राजिंदर कुमार	01-04-2014 से 31-03-2017

(ख) गम्भीर अनियमिततओं का सार

ग्राम पंचायत अवेरी, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो के अन्तशेष मे अन्तर	0.55
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	-----
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	33.63
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.59

भाग– दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत अवेरी, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.32017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-01-18 से 05-01-18 तक ग्राम पंचायत अवेरी के कार्यालय में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमश: 07/2014,10/2015, 09/2016 व 12/2014, 06/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत अवेरी, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 05-01-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत अवेरी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत अवेरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 स्व-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत अवेरी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है

(i) स्वःस्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	596811	1015506	1612317	1240296	372021
2015-16	372021	641170	1013191	471691	541500
2016-17	541500	378457	919957	287674	632283

(ii) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	422971	3007589	3430560	2643130	787430
2015-16	787430	3557641	4345071	2425073	1919998
2016-17	1919998	3097099	5017097	1654133	3362964

रोकड़ बही का कुल अन्तिम शेष (1 + 2) = ₹3995247

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	SF	20016006642	KCCB BAIJNATH	677522
2	ZP/PS	50051700078	KCCB BAIJNATH	42414
3	VKVNY	50051700089	KCCB BAIJNATH	7398
4	RGAY/AAY/IAY	50051699992	KCCB BAIJNATH	36045
5	VHSC	50051701196	KCCB BAIJNATH	22381
6	TSC	50051701209	KCCB BAIJNATH	117272
7	13TH/14TH FC	50051697258	KCCB BAIJNATH	3147205
				275
		TOTAL		**₹4050512**

रोकड़ बही तथा बैंक खातों में दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में अन्तर

₹4050512 - ₹3995247= ₹55265

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.55 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अवेरी द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–3–17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ ` 55265 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। इस अन्तर का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :–

6.1 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना :–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही के प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत अवेरी में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत अवेरी द्वारा इस के न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ नहीं किया गया। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश :–

ग्राम पंचायत अवेरी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था जबकि पंचायत निधि में काफी धनराशि बचत खाते में निवेशित थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि पंचायत की अधिशेष राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **अनुदान ₹33.63 लाख का अवरोधनः–**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹3362964 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.59 लाख के स्टॉक/स्टोर का कयः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर कय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं । चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹158500 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण नही की गई हैं जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का कय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय स्टॉक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 **विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 स्टॉक रजिस्टर
2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
7 गृह कर वसूली रजिस्टर
8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमिततायेः–

13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की जा रही है।

13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

13.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है ।

15 निष्कर्ष :– लेखों के रखरखाव में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बंधित कर्मचरियों को लेखाओं के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)176/2018 खण्ड–1–3085–3088 दिनांक 07.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत अवेरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881